



कार्यालय:- वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़।
 (रांची रोड नियर बी.आर.एल. गेट, पो-मरार, जिला-रामगढ़ पिन-829117)
 Email id - dfo-ramgarh@gov.in

सेवा में,

पत्रांक:- 898

दिनांक:- 14-06-2021

महाप्रबंधक,
 सी0सी0एल0, हजारीबाग क्षेत्र, चरही

विषय :- मेसर्स सी0सी0एल0 की परेज पूर्वी खूली खदान परियोजना हेतु 101.00 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना अन्तर्गत प्रस्तावित स्थल के स्थलीय निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि प्रस्तावित वन भूमि में कई क्षेत्र पूर्व से ही खंडित है। इस संदर्भ में कंडिकावार सूचना उपलब्ध कराया जाय।

1. उक्त भू-भाग कब से खंडित/उपयोगित किया गया है। विदित हो कि विषयगत प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत समर्पित किया गया है यदि प्रस्तावित भू-भाग पूर्व से ही खंडित/उपयोगित है तो निश्चित तौर पर यह वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन का मामला है। अतः इस संदर्भ में वांछित सूचना अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
2. प्रस्तावित स्थल के KML File में आपके द्वारा 107.00 हे0 एरिया दिखाया गया है, जबकि वन भूमि अपयोजन हेतु 101.00 हे0 ही प्रस्तावित किया गया है। इस संदर्भ में भी आवश्यक सुधार अपेक्षित है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त वांछित सूचनाएँ अविलम्ब इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आपका विश्वासी

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
 रामगढ़।